(क) क्या यह सच हैं कि मंदसौर स्थित भारतीय सीमेंट निगम तथा विक्रम सीमेंट फैक्ट्री की चूना पत्थर की खानों में कर्मकारों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय तथा सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन खानों में कर्मकारों की सुरक्षा के लिए न तो सभी उपाय किए गए और न ही सभी साधन उपलब्ध करा गए हैं ;

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक कारखाने में 1986, 1987 और 1988 के वर्षों के दौरान, वर्षवार कितनी मात्रा में विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया और कितनी मात्रा में विस्फोटक उपलब्ध कराए गए ; और

(घ) 1985 से 1988 की अवधि के दौरान उक्त खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुईं और इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गये और कितने जख्मी हुए तथा उन व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें या तो स्वयं या उनके परिवारों को मुआवजा दिया गया तथा उन्हें मुआवजे की कितनी-कितनी रकम दी गई ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री श्री (राधा कृष्ण मालवीय) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया और विक्रम सीमेंट फैक्टरी से संबंधित चूना पत्थर खानों का फरवरी, 1989 में खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया था और सुरक्षा उपायों के अनुपालन को सामान्यतः संतोषजनक पाया गया । दोनों खानों के प्रबंधतंत्रों ने, हैलमेट गागल्स, ग्लोव्स तथा जूतों जैसे आवश्यक बचाव उपकरण उन सभी व्यक्तियों को प्रदान किए हैं जिन्हें उनका प्रयोग करना पड़ता है । दोनों खानों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बैल्टस प्रदान किए गए हैं । ब्लास्टर्स शैल्टर्स की व्यवस्था की गई है । घायल व्यक्तियों को लाने ले जाने की व्यवस्था सहित पर्याप्त प्रथम उपचार स्टेशन और औषधालय प्रदान किए गए हैं ।

(ग) विस्फोटक विनिर्माताओं या उनके अधिकृत डीलरों द्वारा खान प्रबंधतंत्र को विस्फोटक प्रदान किए जाते हैं । इन खानों में प्रयोग की गई विस्फोटक पदार्थ की मात्रा नीचे दी गई है :—

	1986	1987	1988
सी. सी. आई.	15,530 किग्रा.	87,919 किग्रा.	60,405 किग्रा.
विक्रम सीमेंट	90,825 किग्रा.	153,280 किग्रा.	184,405 किग्रा.

(घ) वर्ष 1985 से 1988 के दौरान श्री मदन लाल मकेनिक हैल्पर नाम के एक व्यक्ति की घातक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जो सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की खान में 25.8.1987 को हुई । श्री आर. एस. राजन, इलैक्ट्रिशियन नामक व्यक्ति की घातक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जो 12.8.1988 को विक्रम सीमेंट फैक्टरी की खान में हुई थी । संदर्भाधीन अवधि के दौरान इन खानों में कोई अन्य गंभीर दुर्घटना नहीं हुई । कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मुआवजा दिया जाता है जिसे राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है । इस संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

Bifurcation of the Management of the Sarva Priya Coop. House Building Society

2747. SHRI RAMSINH RATHWA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the total membership of Sarva Priya Coop. House Building Society, New Delhi with break-up of plot owners in Sarva Priya Vihar and apartment-owners in "Sarva

Priya Apartments;

(b) whether it is a fact that after coming into force, the Delhi Apartment Ownership Act, the Sarva Priya Coop Building Society was not required to bifurcate the management of its Group Housing Complex namely "Sarva Priya Apartments" from that of the plot-holders body;

(c) whether the said Act is not applicable to this particular Society or it has secured any special exemptions from Government; and

(d) if so, the name of the competent authority in respect of "Sarva Priya Apartments" and what are their roles in case of any dispute between the management and the allottees of apartment complex?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) The total membership of the Society is 313 out of which 86 are flats and 227 for plots.

(b) The Delhi Apartment Ownership Act applies to the built up apartments only. The question of a separate Association for the Sarva Priya Apartments will be examined.

(c) The Act is applicable to all apartments including those built up by Cooperative Societies. So far the Delhi Administration has not received any application for exemption of this particular society from the purview of the Act.

(d) In view of reply to part (c) question does not arise.

Names/Addresses of the Managing Committee of Sarva Priya Cooperative House Building Society

2748. SHRI RAMSINH RATHWA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state·

(a) whether it is obligatory for a Cooperative Housing Society to disclose names/addresses of its members and the elected Managing Committees at each AGM;

(b) if so, what are the reasons for not disclosing this information by the Sarva Priya Cooperative House Building Society, New Delhi; and

(c) what are the names/addresses of the members of the Society as well as its Managing Committees since 1984 and what are the names and registered office addresses of the Secretary, President, Chairman, Treasurer since the incorporation of above-named society?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मेरठ खंड के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की परियोजनाएं

2749. **श्री शांति त्यागी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989–90 के वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेरठ खंड के लिए कौन-कौन सी विभिन्न योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं और उन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने का विचार है ; और

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अन्य मांगों से संबंधित स्वीकृत की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण के अनुसार है [देखिए परिशिष्ट 149, अनुपत्र सं० 147]

Import of Insecticides

2750. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of AGRICULTURE be